प्रकरण संख्या 41/2018 श्रीमती चुन्नीदेवी बनाम मदनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.11.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नाबरी, तहसील भीम में आराजी नंबर 1391 व 1392 कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जो खेवट खतौनी 1350 फसली में तत्कालीन खाते व कब्जेदार पदमसिंह, राजूसिंह पिता ऊमसिंह एवं हजारीसिंह पिता लालसिंह के कब्जे काश्त की थी। वर्तमान सेटलमेन्ट से पूर्व भीम क्षेत्र में खेवटदारी प्रथा प्रचलित थी, जिसमें खातेदारी तो गांव के पटेल के नाम होती थी तथा भूमि शामलात देह दर्ज करते थे। दिनांक 09.10.1971 को उक्त खातेदारों ने वाद वर्णित भूमि बिल एवज 400/– रूपये में 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 से 3 के पिता व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 को बेचान कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। उक्त साबिक आराजियात के हाल आराजी नंबर 1761, 1762, 1763 कुल किता 3 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा बने। हाल सेटलमेन्ट भूलवश साबिक नंबर 1391 व 1392 माफिक मिलान सेटलमेन्ट खसरा नंबर 1761 व 1763 दर्ज किये गये, जबकि खसरा नंबर 1762 भी उक्त साबिक नंबरों का भाग है, जिसे नया खसरा बनाकर बिना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या 2 से 15 के नाम दर्ज कर दिया गया, जिन्होंने प्रतिवादी संख्या 17 को विक्रय कर दिया। इसी प्रकार खसरा नंबर 1761 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा खसरा नंबर 1763 बिलानाम सिवायचक दर्ज कर दिया गया, जो बिना अधिकार के है। उक्त समस्त आराजियात पर 40 वर्षो से भी पूर्व से कब्जा वादीगण का चला आ रहा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 13.06.2016 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर दिनांक 30.07.2018 को अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 की ओर से वकील श्री दिग्विजयसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 23.07.2018 को तब हुई जब वह अपने अधिवक्ता के पास प्रकरण की [illegible] करने गये। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। हमने उक्त आवेदन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 41/2018 श्रीमती चुन्नीदेवी बनाम मदनलाल

प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 21.04.2016 के स्थान पर सीधे ही दिनांक 13.06.2016 को राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जिससे अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना मनमकसूद तरीके से निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.11.2014 अनुसार प्रकरण तलबी हेतु दिनांक 16.12.2014 के लिए नियत था। इसके बाद प्रकरण में आगामी तीन पेशियों पर पीठासीन अधिकारी राजकार्य में भ्रमण पर रहे। दिनांक 16.10.2015 की आदेशिका अनुसार प्रकरण दिनांक 22.10.2015 को राजस्व कैम्प में रखा गया, किन्तु इसके बाद छः पेशियों पर पीठासीन अधिकारी राजकार्य में भ्रमण पर रहे तथा दिनांक 15.03.2016 को प्रकरण पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 21.04.2016 को रखा गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना तलबी के प्रकरण नियत पेशी दिनांक 21.04.2016 के स्थान पर सीधे ही दिनांक 13.06.2016 को राजस्व कैम्प में रखकर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनका पक्ष रखने हेतु समुचित पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.06.2016 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.01.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:00:30 IST
Reason: SelfAttested